बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : बी-5/1, शंकर नगर, रायपुर
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 7379 /सांसद रायपुर लोकसभा/ रायपुर, दिनांक 18/07/2026

विषयः— रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण तथा रायपुर पुलिस कमिश्नरेट एवं रायपुर ग्रामीण पुलिस को पर्याप्त पुलिस बल, संसाधन एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराने बाबत।

---00---

महोदय,

सविनय निवेदन है कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के गठन का उद्देश्य राजधानी रायपुर में कानून—व्यवस्था को अधिक प्रभावी, त्वरित एवं आधुनिक बनाना था। किंतु वर्तमान में कमिश्नरेट व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त जमीनी पुलिस बल, संसाधनों एवं स्पष्ट क्षेत्राधिकार का अभाव है। अधिकारियों की संख्या पूरी तरह बढ़ाई गई है, परंतु उनके अधीन कार्य करने वाला आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक सुबेदार एवं अधीनस्थ बल पर्याप्त नहीं होने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसी प्रकार रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी गंभीर पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अपराध नियंत्रण एवं कानून—व्यवस्था पर पड़ रहा है।

वर्तमान में रायपुर नगर निगम के अनेक शहरी क्षेत्र अभी भी रायपुर ग्रामीण पुलिस के अधीन हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक—8, मोतीलाल नेहरू वार्ड के विभिन्न भाग, अमर सिंह बस्ती, स्वर्णभूमि कॉलोनी, शिवाजी पार्क, राजधानी विहार कॉलोनी, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, सत्यम नगर, कचना तथा नगर निगम वार्ड क्रमांक—53 बाबू जगजीवन राम वार्ड का डूमरतराई क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों का स्वरूप पूर्णतः शहरी है, अतः इन्हें रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाना अधिक व्यावहारिक होगा।

कमिश्नरेट एवं ग्रामीण पुलिस की सीमाओं पर अनेक स्थानों पर क्षेत्राधिकार का ओवरलैप है। उदाहरणार्थ, कमल विहार के सेक्टर—13, 14 एवं 15 थाना मुजगहन के अंतर्गत आते हैं, जबकि उनसे लगे क्षेत्र थाना माना के अधीन हैं। ऐसी स्थिति में अपराधों की विवेचना, कानून—व्यवस्था तथा पुलिस समन्वय में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

इसी प्रकार अनेक ऐसे संवेदनशील एवं अपराध की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो शहरी आबादी से जुड़े होने के बावजूद ग्रामीण पुलिस के अधीन हैं। उदाहरण स्वरूप, साधु क्षेत्र स्थित बीएसपी कॉलोनी थाना विधानसभा के अधीन है,

बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

रायपुर, दिनांक 18/07/202

क्रमांक 7379 / सांसद रायपुर लोकसभा /

जबकि उसका सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क पूर्णतः शहरी क्षेत्र से है। इससे प्रभावी पुलिसिंग प्रभावित होती है।

स्वामी विवेकानंद विमानतल (एयरपोर्ट) वर्तमान में थाना माना (रायपुर ग्रामीण) के अंतर्गत आता है। राजधानी में वीवीआईपी एवं वीआईपी आवागमन का प्रमुख केंद्र होने के कारण एयरपोर्ट से शहर तक सुरक्षा व्यवस्था में कमिश्नरेट एवं ग्रामीण पुलिस दोनों का अलग–अलग बल लगाना पड़ता है, जिससे कार्य का अनावश्यक दोहराव तथा दोनों इकाइयों के सीमित बल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र का भी कुछ भाग कमिश्नरेट एवं कुछ भाग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उद्योग एक क्षेत्र में संचालित हैं जबकि श्रमिकों का निवास दूसरे क्षेत्र में है। कानून–व्यवस्था अथवा औद्योगिक विवाद की स्थिति में समन्वय संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अतः सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को किसी भी एक ही पुलिस इकाई के अधीन किया जाना उचित होगा।

वर्तमान में कमिश्नरेट क्षेत्र में 21 थाने हैं। राजधानी होने के कारण प्रतिदिन धरना–प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव, वीआईपी एवं वीवीआईपी ड्यूटी, न्यायालयीन कार्य तथा अन्य कानून–व्यवस्था संबंधी दायित्वों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता रहती है। पूर्व में आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्र से बल उपलब्ध हो जाता था, किंतु वर्तमान व्यवस्था में दोनों इकाइयाँ पृथक होने से यह व्यवस्था कठिन हो गई है।

मेरा मानना है कि राजधानी की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए रायपुर जिले को कमिश्नरेट एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित रखने के स्थान पर संपूर्ण रायपुर जिले को चरणबद्ध रूप से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में लाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

वर्तमान में रायपुर कमिश्नरेट एवं रायपुर ग्रामीण दोनों का रक्षित केंद्र संयुक्त है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 660 पद रिक्त हैं, जिनमें लगभग 522 आरक्षक, 43 प्रधान आरक्षक, 9 सहायक उपनिरीक्षक, 82 उपनिरीक्षक एवं 4 सूबेदार के पद शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियाँ होने के कारण उपलब्ध बल से ही समस्त कानून–व्यवस्था एवं अन्य ड्यूटियाँ कराई जा रही हैं। भविष्य में रक्षित केंद्र का विभाजन भी अत्यंत कठिन एवं अव्यावहारिक सिद्ध होगा। अतः दोनों इकाइयों में तत्काल पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

निवास : ...
फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 7379 / सांसद रायपुर लोकसभा / रायपुर, दिनांक 18/07/202

कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के पश्चात राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 19 से बढ़कर 37 हो गई है, किंतु उनके कार्यालय, स्टाफ, चालक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु पृथक पुलिस बल स्वीकृत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप जिले के उपलब्ध बल को ही विभिन्न कार्यालयों में लगाया गया है, जिससे थानों एवं मैदानी पुलिसिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

रायपुर की जनसंख्या वर्ष 2016 में लगभग 15 लाख थी, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है। इसी अवधि में वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके बावजूद यातायात शाखा में मात्र लगभग 46 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो बीपीआरडी के मानकों की तुलना में अत्यंत कम हैं। राजधानी की आवश्यकताओं के अनुरूप यातायात पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि की जाना अत्यावश्यक है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन व्यवस्था के रूप में प्रदेश के अन्य जिलों एवं इकाइयों से लगभग 500 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को अस्थायी रूप से रायपुर कमिश्नरेट एवं रायपुर ग्रामीण में पदस्थ किया जाना उचित होगा। साथ ही, दीर्घकालीन समाधान हेतु नवीन पदों की स्वीकृति भी आवश्यक है।

कमिश्नरेट गठन के पश्चात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पाँच पुलिस उपायुक्त तथा 18 सहायक पुलिस आयुक्त के पद तो स्वीकृत किए गए हैं, किंतु उनके लिए स्थायी कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी व्यवस्था से कार्य संचालित हो रहा है। अतः इन सभी कार्यालयों के निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाए।

इसी प्रकार कमिश्नरेट के विभिन्न थाना, चौकी, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों के लिए शासकीय वाहनों की भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध वाहनों की संख्या निर्धारित मानकों से काफी कम है। अतः आवश्यक वाहन एवं अन्य संसाधन भी शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए :-

- रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण किया जाए।
- शहरी स्वरूप वाले क्षेत्रों को कमिश्नरेट में शामिल किया जाए।

बृजमोहन अग्रवाल
सांसद,
रायपुर लोकसभा क्षेत्र
एवं पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

फोन नं. : 0771-2331070, 2331011
फैक्स नं.: 0771-4049410
ई-मेल : bm.raipur@sansad.nic.in
bm.raipur@gmail.com

क्रमांक 7379 / सांसद रायपुर लोकसभा / रायपुर, दिनांक 18/07/202

- रायपुर कमिश्नरेट एवं रायपुर ग्रामीण दोनों को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।
- आवश्यकतानुसार नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की जाए।
- कमिश्नरेट के कार्यालय भवन, शासकीय वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- राजधानी की बढ़ती आबादी एवं क़ानून–व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य की राजधानी की सुरक्षा, कानून–व्यवस्था एवं नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

सादर,

(बृजमोहन अग्रवाल)

प्रति,

मान. श्री विजय शर्मा जी,
उप मुख्यमंत्री
गृह एवं जेल विभाग
छत्तीसगढ़ ।